

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2224 वर्ष 2013

1. बिपन कुमार पात्रा

2. कुंज बिहारी पात्रा

... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. संभू पान

2. काली पान

3. सरला पान

4. लीला देवी

5. जगदीश सिंह

6. हरि मंडल

7. रेणुका देवी

8. रामा नन्द शर्मा

9. जगन्नाथ दास

10. गुरु चरण कौर

11. मोतीलाल पान

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं के लिए:

श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

श्री कौशिक सरखेल, अधिवक्ता

श्री रवि कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री सुधीर कुमार शर्मा, अधिवक्ता

06/29.01.2021 मामले को पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। किसी भी ऑडियो और विजुअल कनेक्टिविटी के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

श्री इंद्रजीत सिन्हा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, शुरू में, निवेदन किया है कि आदेश अपील योग्य है, इसलिए, वह अपील के अवसर का लाभ उठाने के लिए इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है।

इस दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ताओं को आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपीलीय मंच में संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ यह रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है।

अंतरिम आदेश दिनांक 02.05.2013 हटा लिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, आई0ए0 सं0-4986/2013 का निपटान किया गया।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)